तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या : 172 / 2022 रास्ता प्रकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.22	तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। पटवार मण्डल पातुसरी के राजस्व ग्राम मालसर के हाल भूमि खसरा नं. 170, 167, 166, 165, 764 / 164, 164, 176, 766 / 178, 178, 179, 181, 251, 205, 206 में से जाने वाले रास्ते में मौके पर रास्ता चालु हालत में है, जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादी में रास्ता दर्ज करने की अभिषंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अवलोकन रास्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुंझुनूं को सुना गया। रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया। रास्ते सुनिश्चित होने से काश्तकारों में अनावश्यक विवाद नहीं होते है। रास्ता सुनिश्चित होने से आराजी तक पहुंच सुगम रहती है। सुगम पहुंच भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सुगम बनाती है। सुनिर्धारित, सुनिश्चित रास्ता जोत का महत्व और मूल्य बढ़ा देता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)रा–6 / 2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6 / 2021 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः –: आदेश :– उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नंम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	